संख्या-113/2022/493/22-2-2022-17(957)/2021

प्रेषक,

कृष्ण कुमार सिंह,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ दिनांक 05 अगस्त, 2022*

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गंगाराम पुत्र श्री गन्नू निवासी जनपद-बिजनौर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-7419/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-10.01.2022) दिनांक-09.03.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गंगाराम पुत्र श्री गन्नू, कामराजपुर, थाना-नांगल वर्तमान निवासी-हिमालयन कालोनी, शेखपुर गढ़ू, कस्बा व थाना-नजीबाबाद जनपद-बिजनौर का निवासी है। बन्दी ने वादी से 10 हजार रूपये उधार लिये थे जिसे वादी द्वारा कई बार वापस मांगने को लेकर हुए विवाद में दिनांक 23.07.2004 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादी के साथ उसके घर आये ममेरे भाई इन्द्रपाल की तमन्चे से फायर कर हत्या कर दी व 01 अन्य को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-679/2004 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34, 304 व 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कोर्ट सं0-2), बिजनौर के आदेश दिनांक 25.02.2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी, बिजनौर द्वारा बन्दी की आयु 54 वर्ष होने, बन्दी का स्वास्थ्य ठीक व किसी असाध्य रोग से ग्रसित नहीं होने, बन्दी में कोई स्थाई अशक्तता व विकलांगता नहीं होने, बन्दी द्वारा किया गया अपराध गंभीर प्रकृति का होने तथा समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी के जेल से बाहरआने पर उसके पुन: अपराध में संलिप्त होने की पूर्ण सम्भावना होने की आख्या का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बन्दी ने वादी से 10 हजार रूपये उधार लिये थे जिसे वादी द्वारा कई बार वापस मांगने को लेकर हुए विवाद में दिनांक 23.07.2004 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादी के साथ उसके घर आये ममेरे भाई इन्द्रपाल की तमन्चे से फायर कर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, जेल से बाहर आने पर पुन: अपराध करने में संलिप्त होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा समिति की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर द्वारा समिति की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी गंगाराम पुत्र श्री गन्नू को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गंगाराम (बन्दी सं0-47066) पुत्र श्री गन्नू निवासी जनपद-बिजनौर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

संख्या-113/2022/493(1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद।
4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-113/2022/493/22-2-2022-17(957)/2021

दिनांक 05 अगस्त, 2022 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गंगाराम पुत्र श्री गन्नू, जो कामराजपुर, थाना-नांगल वर्तमान निवासी-हिमालयन कालोनी, शेखपुर गढ़ू, कस्बा व थाना-नजीबाबाद जनपद-बिजनौर का निवासी है। बन्दी ने वादी से 10 हजार रूपये उधार लिये थे जिसे वादी द्वारा कई बार वापस मांगने को लेकर हुए विवाद में दिनांक 23.07.2004 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादी के साथ उसके घर आये ममेरे भाई इन्द्रपाल की तमन्चे से फायर कर हत्या कर दी व 01 अन्य को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-679/2004 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34, 304 व 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कोर्ट सं0-2), बिजनौर के आदेश दिनांक 25.02.2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी, बिजनौर द्वारा बन्दी की आयु 54 वर्ष होने, बन्दी का स्वास्थ्य ठीक व किसी असाध्य रोग से ग्रसित नहीं होने, बन्दी में कोई स्थाई अशक्तता व विकलांगता नहीं होने, बन्दी द्वारा किया गया अपराध गंभीर प्रकृति का होने तथा समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी के जेल से बाहरआने पर उसके पुन: अपराध में संलिप्त होने की पूर्ण सम्भावना होने की आख्या का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बन्दी ने वादी से 10 हजार रूपये उधार लिये थे जिसे वादी द्वारा कई बार वापस मांगने को लेकर हुए विवाद में दिनांक 23.07.2004 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादी के साथ उसके घर आये ममेरे भाई इन्द्रपाल की तमन्चे से फायर कर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, जेल से बाहर आने पर पुन: अपराध करने में संलिप्त होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा समिति की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर द्वारा समिति की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी गंगाराम पुत्र श्री गन्नू को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।